



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd.

(भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्ववादी / Wholly Owned by Government of India)

Service Tax No.

AAACN4165CST178 पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Irda No. 190

Regd. & Head Office : New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400-001.

केवल दायित्व पॉलिसी

('उपयोग की सीमाओं' में उचित संशोधनों के साथ
सभी श्रेणियों के वाहनों पर लागू)

LIABILITY ONLY POLICY

(Applicable to all classes of vehicles with suitable amendments
in 'Limitations as to Use')

इसके तहत बीमाधारक द्वारा, प्रस्ताव के माध्यम से और अनुसूची में दर्शायी गयी घोषणा तिथि से, जो इस सविदा का आधार होगी और इसमें शामिल समझी जाएगी, यहां पर प्रस्तुत बीमा के लिए आवेदन किया गया है और इस हेतु अनुसूची में दर्शाये गये अनुसार प्रीमियम का भुगतान किया गया है जो बीमा अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटना के फलस्वरूप हानि या क्षति के संबंध में है।

अब यह पॉलिसी इस बात का प्रमाण है कि :

यहां पर शामिल या पृष्ठांकित या अन्यथा यहां पर अभिव्यक्त शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन इसे जारी किया जाता है।

तृतीय पक्ष के प्रति दायित्व

- इसके साथ जोड़ी गयी अनुसूची में बतायी गई दायित्व की सीमा के अधीन, कंपनी बीमाधारक को, भारत में कहीं भी, बीमाकृत वाहन के उपयोग के कारण या उसके द्वारा हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप सभी राशियों की क्षतिपूर्ति करेगी जिसमें दावेदार की लागतें और व्यय शामिल होंगे और जिनके भुगतान के लिए बीमाधारक कानूनी तौर पर उत्तरदायी होगा तथा यह निम्न के संबंध में होगा :
 - किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक जख्म, जो मोटर वाहन अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है।
 - बीमाधारक के स्वामित्व की या उसके न्यास में रखी गयी या उसके कब्जे में या नियंत्रण में रखी गयी संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति की क्षति जो अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा तक होगी।
- कंपनी अपनी लिखित सहमति पर किये गये सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करेगी।
- बीमाधारक को इस खंड द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति की सीमाओं के अनुसार और उनके अध्यक्षीन कंपनी किसी भी ड्राइवर को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी जो बीमाधारक के आदेशानुसार या बीमाधारक की अनुमति से वाहन चला रहा हो बशर्त वह ड्राइवर खुद ही बीमाधारक के रूप में व्यवहार कर रहा हो जो इस पॉलिसी में लागू शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन हो।
- इस पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में कंपनी ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाये गये दायित्व के मामले में उसके निजी प्रतिनिधि को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार और उसकी सीमाओं के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी बशर्त ऐसे निजी प्रतिनिधि बीमाधारक के रूप में व्यवहार पूर्ण करेंगे और इस पॉलिसी की लागू शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन कार्य करेंगे।
- कंपनी अपने विकल्प पर
 - इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी मृत्यु के लिए जांच-पड़ताल या वृहत पूछताछ पर प्रतिवेदन आयोजित कर सकती है।

और

 - किसी कानूनी अदालत में किसी कार्रवाई या आरोपित दोष या किसी घटना से संबंधित कार्यवाही में जो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के अधीन हो, रक्षात्मक रुख ले सकती है।

कुछ शर्तों से बचना और वसूली का अधिकार

इस पॉलिसी या इसके किसी पृष्ठांकन की कोई भी बात मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत या उसके उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति के इस पॉलिसी के द्वारा क्षतिपूर्ति पाने या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा राशि वसूल करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

Whereas the insured by a proposal and declaration dated as stated in the Schedule which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the Company for the insurance hereinafter contained and has paid the premium mentioned in the Schedule as consideration for such insurance in respect of accidental loss or damage occurring during the period of insurance.

NOW THIS POLICY WITNESSETH :

That subject to the Terms, Exceptions and Conditions contained herein or endorsed or expressed hereon.

LIABILITY TO THIRD PARTIES

- Subject to the Limits of liability as laid down in the schedule hereto, the Company will indemnify the insured in the event of accident caused by or arising out of the use of the Motor vehicle anywhere in India against all sums including claimant's costs and expenses which the insured shall become legally liable to pay in respect of :
 - death of or bodily injury to any person so far as it is necessary to meet the requirements of Motor Vehicles Act.
 - damage to property other than property belonging to the insured or held in trust or in the custody or control of the insured up to the limit specified in the schedule.
- The Company will pay all costs and expenses incurred with its written consent.
- In terms of and subject to the limitation of the indemnity granted by this section to the insured the Company will indemnify any driver who is driving the insured vehicle on the insured's order or with insured's permission provided that such driver shall as though he/she were the insured observe fulfil and be subject to the terms exceptions and conditions of this policy in so far as they apply.
- In the event of the death of any person entitled to indemnity under this policy the Company will in respect of the liability incurred by such person indemnify his/her personal representative in terms of and subject to the limitations of this Policy provided that such personal representative shall as thought such representative was the insured observed fulfil and be subject to the terms exceptions and conditions of this policy in so far as they apply.
- The Company may at its own option
 - arrange for representation at any Inquest or Fatal Inquiry in respect of any death which may be subject of indemnity under this Policy.

and

 - undertake the defence of proceedings in any Court of Law in respect of any act or alleged offence causing or relating to any event which may be the subject of indemnity under this Policy.

AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF RECOVERY

Nothing in this Policy or any endorsement hereon shall affect the right of any person indemnified by this Policy or any person to recover an amount under or by virtue of the provisions of the Motor Vehicles Act.

परंतु बीमाधारक कंपनी को वह सभी राशियां वापस करेगा जो कंपनी ने अदा की हैं और कंपनी उक्त उपबंधों के अलावा उन्हें अदा करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

क्षतिपूर्ति की सीमाएं लागू करना

किसी दुर्घटना में एक से अधिक व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति शामिल होने पर इस पॉलिसी की और / या उस पर लगाये गये किसी पृष्ठानक की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि पर सीमा लागू होगी जो क्षतिपूर्ति दिये गये सभी व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति राशि की सकल राशि पर लागू होगी और ऐसी क्षतिपूर्ति में बीमाधारक को वरियता दी जाएगी।

मालिक - ड्राइवर के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन कंपनी वचन देती है कि बीमाकृत वाहन के साथ सीधे संपर्क में वाहन के मालिक-ड्राइवर की या वाहन में चढ़ते / उतरते समय या बीमाकृत वाहन में सह-ड्राइवर के रूप में यात्रा करते समय सह-ड्राइवर की हिसक दुर्घटनात्मक, बाह्य और दृश्य कारणों से, जो किसी अन्य कारण से जुड़ा न हो, मृत्यु हो जाये / शारीरिक चोट लग जाये, तो ऐसी चोट लगने के बाद से छह कैलेंडर माह के अंदर निम्न घटित होने पर कंपनी निम्नलिखित मानदंड के अनुसार मुआवजा देगी:

चोट का स्वरूप	मुआवजे का मानदंड
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों या दोनों आँखों की दृष्टि या एक अंग और एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपरोक्त को छोड़कर चोट के कारण हुई स्थायी पूर्ण विकलांगता	100%

बशर्त हमेशा या कि

- मालिक-ड्राइवर के मामले में किसी एक घटना से उत्पन्न हानि के लिए मुआवजा उपरोक्त (i) से (iv) में से किसी एक ही मद के अंतर्गत मिलेगा तथा बीमाकर्ता का सकल दायित्व किसी एक बीमा अवधि के दौरान कुल रु. _____ से अधिक नहीं होगा।
- निम्न स्थिति के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्णत रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न या उसकी वजह से निर्मित होने के लक्षण हों तो मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा (क) जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की, शारीरिक दोष या अस्वस्थता की कोशिश करना या (ख) मदिरा या नशीली दवाइयों के सेवन के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होना.

यह आवरण निम्न बातों के अधीन है :-

- मालिक - ड्राइवर बीमाकृत वाहन का पंजीकृत मालिक है।
- पॉलिसी में मालिक - ड्राइवर बीमाधारक है।
- मालिक - ड्राइवर के पास दुर्घटना के समय प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है, जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 के उपबंधों के अनुसरण में है।

सामान्य अपवाद

- कंपनी यहाँ पर बीमाकृत वाहन के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जब
 - 'उपयोग की सीमाएँ' के अनुसार वाहन का उपयोग न किया जा रहा हो।
 - थवा
 - ड्राइवर क्लॉज में बताये गये ड्राइवर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा हो या वाहन चलाने हेतु उसे दिया गया हो।
- किसी संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न दावे के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
- मोटर वाहन अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यक है, उसे छोड़कर, बीमाधारक के नियोजन में या ऐसे किसी व्यक्ति के नियोजन में, जिसे इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जाती है, रहनेवाले किसी व्यक्ति की नियोजन के

But the insured shall repay to the Company all sums paid by the Company which the Company would not have been liable to pay but for the said provisions.

APPLICATION OF LIMITS OF INDEMNITY

In the event of any accident involving indemnity to more than one person any limitation by the terms of this Policy and/or of any Endorsement thereon of the amount of any indemnity shall apply to the aggregate amount of indemnity to all person indemnified and such indemnity shall apply in priority to the insured.

PERSONAL ACCIDENT COVER FOR OWNER - DRIVER

Subject otherwise to the terms exception and limitation of this Policy, the Company undertakes to pay compensation as per the following scale for bodily injury/death sustained by the owner-driver of the vehicle, in direct connection with the vehicle insured or whilst mounting into/dismounting from or traveling in the insured vehicle as a co-driver, caused by violent, accidental, external and visible means which independent of any other cause shall within six calendar months of such injury result in:

Nature of Injury	Scale of compensation
i) Death	100%
ii) Loss of two limbs or sight of two eyes or one limb and sight of one eye	100%
iii) Loss of one limb or sight of one eye	50%
iv) Permanent total disablement from injuries other than named above	100%

Provided always that

- the compensation shall be payable under only one of the items (i) to (iv) above in respect of the owner - driver arising out of any one occurrence and the total liability of the insurer shall not in the aggregate exceed the sum of Rs. _____ during any one period of insurance.
- no compensation shall be payable in respect of death or bodily injury directly or indirectly wholly or in part arising or resulting from or traceable to (a) intentional self injury suicide or attempted suicide physical defect or infirmity or (b) an accident happening whilst such person is under the influence of intoxicating liquor or drugs.

This cover is subject to

- the owner-driver in the registered owner of the vehicle insured herein.
- the owner-driver is the insured named in this policy.
- the owner-driver holds an effective driving license, in accordance with the provisions of Rule 3 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, at the time of the accident.

GENERAL EXCEPTIONS

- The Company shall not be liable in respect of any claim arising whilst the vehicle insured herein
 - being used otherwise than in accordance with the 'Limitations as to Use'
 - or
 - being driven by or is for the purpose of being driven by him/her in the charge of any person other than a Driver as stated in the Driver's Clause.
- The Company shall not be liable in respect of any claim arising out of any contractual liability.
- Except so far as is necessary to meet the requirements of the Motor Vehicle Act, the Company shall not be liable in respect of death arising out of and in the course of employment of a person in the employment of the insured or in the employment of any

दौरान और नियोजन के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या उस व्यक्ति को नियोजन के फलस्वरूप या ऐसे नियोजन के दौरान शारीरिक चोट पहुँचती है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

4. मोटर वाहन अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यक हैं, उसे छोड़कर, ऐसी घटना के दौरान जिससे कोई दावा उत्पन्न हो सकता है, मोटर वाहन में किसी व्यक्ति की (यात्री को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति जिसे किसी कारण से या संविदा या नियोजन के अनुसार वाहन में ले जाया जा रहा हो) वाहन में ले जाते समय या वाहन में प्रवेश करते समय या उसमें चढ़ते अथवा उतरते समय मृत्यु हो जाये या उसे शारीरिक चोट पहुँचे तो कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
5. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की कार्रवाई, युद्ध स्थिति या युद्ध जैसी कार्रवाईयाँ (चाहे युद्ध घोषित होने से पहले हो या बाद में हो), नागरी युद्ध, क्रांति, विद्रोह, सैनिकी या किसी शक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा, के कारण सीधे या अप्रत्यक्ष या आसन्न कारण से या दूरस्थ कारण से या उनके फलस्वरूप या वजह से या संबंधित होने से अथवा उक्त घटनाओं के किसी भी परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुई कोई दुर्घटनात्मक हानि, क्षति और/या दायित्व के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। यदि इसके अंतर्गत बीमाधारक को कोई दावा करना हो तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटनात्मक हानि, क्षति और/या दायित्व स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है और वह किसी भी तरह से उक्त घटनाओं से संबंधित नहीं है या उनके योगदान से नहीं हुआ है या उनकी वजह से नहीं हुआ है या उनके किसी परिणाम के कारण नहीं हुआ है और यदि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाये तो कंपनी उस दावे के संबंध में कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
6. न्यूक्लीय हथियार सामग्री के कारण या उससे उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुर्घटनात्मक दायित्व के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

शर्तें

यह पॉलिसी और अनुसूची एकसाथ पढ़ी जायेगी और किसी शब्द या अभिव्यक्ति का इस पॉलिसी के किसी भाग में या उसकी अनुसूची में यदि कोई विशिष्ट अर्थ है तो वही अर्थ हर जगह, जहाँ वह शब्द लिखा गया है वहाँ, लागू होगा।

1. किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर और किसी भी दावे के मामले में कंपनी को तत्काल लिखित रूप में सूचना दी जायेगी। बीमाधारक द्वारा प्राप्त प्रत्येक दावा पत्र, याचिका, सम्मन और/या प्रक्रिया को तत्काल कंपनी के पास भेजा जायेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न कर सकनेवाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में बीमाधारक की जानकारी में होनेवाली कोई आसन्नता, मुकदमा, जाँच-पड़ताल या विघातक पूछताछ की सूचना भी तत्काल कंपनी को लिखित रूप में दी जायेगी।
2. कंपनी की लिखित स्वीकृति के बिना बीमाधारक या उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की स्वीकृति, प्रस्ताव, वचन, भुगतान या क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। कंपनी इस बात का अधिकार रखती है कि यदि वह चाहे तो बीमाधारक के नाम से किसी दावे के संबंध में प्रतिरक्षा या निपटान कर सकती है या अन्यथा अपने हित में बीमाधारक के नाम से क्षतिपूर्ति या क्षति के लिए कोई दावा हेतु मुकदमा चला सकती है तथा किसी कार्यवाही को या किसी दावे को निपटाने की प्रक्रिया में उसे पूरा निर्णयाधिकार प्राप्त होगा और बीमाधारक इस बारे में कंपनी के लिए आवश्यक सभी जानकारी और सहायता देगा। यदि कंपनी किसी दावे के निपटान में कोई भुगतान करेगी और ऐसे भुगतान में कोई ऐसी राशि होगी जो इस पॉलिसी द्वारा आवरित नहीं है, तो इस प्रकार आवरित न की गयी राशि बीमाधारक कंपनी को वापस लौटा देगा।
3. बीमाकृत वाहन को सक्षम स्थिति में रखने के लिए बीमाधारक सभी उचित कदम उठायेगा और कंपनी के पास किसी भी समय बीमाकृत वाहन या उसके किसी पुर्जे की या बीमाधारक के किसी ड्राइवर या कर्मचारी की जाँच करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
4. कंपनी बीमाधारक के अंतिम ज्ञात पते पर रिकार्ड की जानेवाली सुपुर्दगी द्वारा सात दिनों की सूचना से पॉलिसी रद्द कर सकती है और ऐसे मामले में वह बीमाधारक को प्रदत्त प्रीमियम की वापसी करेगी जिसमें से जितनी अवधि के लिए पॉलिसी जारी थी उतने के लिए यथानुपात प्रीमियम की कटौती की जायेगी। अथवा बीमाधारक द्वारा किसी भी समय सात दिनों की सूचना रिकार्ड की जानेवाली सुपुर्दगी द्वारा देते हुए पॉलिसी रद्द की जा सकती है बशर्ते पॉलिसी अवधि में कोई दावा न किया गया हो तो बीमाधारक को प्रीमियम की वापसी पाने का अधिकार है जिसमें से पॉलिसी जारी रहने की अवधि के लिए कंपनी अल्पावधि दरों पर प्रीमियम की कटौती करेगी। प्रीमियम की वापसी कंपनी द्वारा न्यूनतम रु. 100/- अपने पास रखने के बाद की जायेगी (या रु. 25/- जब वाहन अंधे / विकलांग /

person who is indemnified under this policy or bodily injury sustained by such person arising out of and in the course of such employment.

4. Except so far as is necessary to meet the requirements of the Motor Vehicle Act, the Company shall not be liable in respect of death or bodily injury to any person (other than a passenger carried by reason of or in pursuance of a contract or employment) being carried in or upon or entering or mounting or alighting from the Motor Vehicle at the time of occurrence of the event out of which any claim arises.
5. The Company shall not be liable in respect of any liability directly or indirectly or proximately or remotely occasioned by contributed by or traceable to or arising out of or in connection with War, Invasion, the Act of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether before or after declaration of war) Civil War, Mutiny, Rebellion, Military or usurped power or by any direct or indirect consequence of any of the said occurrences and in the event of any claim hereunder, the Insured shall prove that the accident, loss, damage and/or liability, arose independently of and was in on way connected with or occasioned by or contributed to by or traceable to any of the said occurrences or any consequences thereof and in default of such proof, the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.
6. The Company shall not be liable in respect of any liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material.

CONDITIONS

This Policy and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear the same meaning wherever it may appear.

1. Notice shall be given in writing to the Company immediately upon the occurrence of any accidental and in the event of any claim. Every letter claim writ summons and/or process shall be forwarded to the Company immediately on receipt by the insured. Notice shall also be given in writing to the Company immediately the insured shall have knowledge of any impending Prosecution Inquest or Fatal Inquiry in respect of any accident which may give rise to a claim under this Policy.
2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the insured without the written consent of the Company which shall be entitled if it so desires to take over and conduct in the name of the insured the defence or settlement of any claim or to prosecute in the name of the insured for its own benefit any claim for indemnity or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the insured shall give all such information and assistance as the Company may require. If the Company shall make any payment in settlement of any claim and such payment includes any amount not covered by this Policy the insured shall repay to the Company the amount not so covered.
3. The insured shall take all reasonable steps to maintain in insured vehicle in efficient condition and the company shall have at all time free and full access to examine the insured vehicle or any part thereof or any driver or employee of the insured.
4. The Company may cancel the policy by sending seven days notice by recorded delivery to the insured at insured's last known address and in such event will return to the insured the premium paid less the pro-rata portion thereof for the period the Policy has been in force or the policy may be cancelled at any time by the insured on seven days' notice by recorded delivery and (provided no claim has arisen during the currency of the policy) the insured shall be entitled to a return of premium less premium at the Company's Short Period rates for the period the Policy has been in force. Return of the premium by the company will be subject to retention of the minimum premium of Rs. 100/- (or Rs. 25/- in respect of vehicles

दिमागी तौर पर विकलांग लोगों के उपयोग के लिए विशिष्ट तौर पर डिजाइन / परिवर्तित किये गये हों) जब वाहन का स्वामित्व अंतरित किया जाता है तब पॉलिसी तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि उस वाहन को दूसरे स्थान पर बीमाकृत करने संबंधी सबूत प्रस्तुत न किया जाये।

5. जब कोई घटना घटित हो और उससे इस पॉलिसी के अलावा दूसरी पॉलिसी के अंतर्गत भी दायित्व का दावा किये जा सकने की गुंजाइश हो तो कंपनी किसी भी मुआवजे, लागत या व्यय में अपने यथानुपात हिस्से का ही भुगतान करने या योगदान देने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. यदि पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की राशि के संबंध में विवाद या मत भिन्नता हो (जिसमें अन्यथा दायित्व स्वीकार्य हो), तो अन्य सभी प्रश्नों से हटाकर यह विवाद एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय हेतु संदर्भित किया जायेगा जिसे विवाद में शामिल पक्ष लिखित रूप में नियुक्त करेंगे या किसी पक्ष द्वारा मध्यस्थता की पहल करने के बाद 30 दिनों तक एकल मध्यस्थ पर कोई निर्णय न हो तो मामले को 3 मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित किया जायेगा जिनमें हर विवाद पक्ष द्वारा एक-एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा और उन दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जायेगी जो मध्यस्थता का अध्यक्ष होगा और यह मध्यस्थता कार्यवाही आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत एवं उसके अनुसार की जायेगी।

यह पूर्णतः स्वीकृत और समझा गया है कि ऐसा कोई विवाद या भिन्नता इसके अंतर्गत मध्यस्थता को संदर्भित नहीं की जायेगी यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के संबंध में कोई दायित्व स्वीकार ही न किया हो या उस पर विवाद हो।

यहाँ यह स्पष्टतः वर्णित और घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी पर कोई कार्रवाई या मुकदमा चलाने के किसी अधिकार से पहले यह अनिवार्य है कि इस प्रकार मध्यस्थ / मध्यस्थों का हानि या क्षति की राशि के संबंध में निर्णय पहले प्राप्त कर लें।

यहाँ यह भी स्पष्टतः स्वीकृत और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी इसके तहत बीमाधारक के किसी दावे के संबंध में अपना दायित्व अस्वीकार करती है और ऐसी अस्वीकृति की तिथि से 12 कैलेंडर माह के अंदर मामले को कानूनी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह दावा सभी प्रयोजनों के लिए समाप्त समझा जायेगा और उसके बाद किसी भी परिस्थिति में वह दोबारा खोला नहीं जायेगा।

7. इस पॉलिसी की शर्तें, प्रतिबन्ध और पृष्ठांकन का पालन और उन्हें पूरा करना जो बीमाधारक द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तथा प्रस्ताव में दिये गये विवरणों और उत्तरों की सत्यता, इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी के दायित्व में कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए पूर्वगामी शर्त होगी।

8. एकल बीमाधारक की मृत्यु के मामले में यह पॉलिसी तत्काल समाप्त नहीं की जायेगी अपितु वह बीमाधारक की मृत्यु तिथि से तीन माह की अवधि के लिए या इस पॉलिसी की समाप्ति तिथि तक (जो भी पहले हो) वैध रहेगी। इस अवधि के दौरान बीमाधारक के विधिक वारिस जिनके कब्जे में और उपयोग हेतु मोटर वाहन रहेगा वे पॉलिसी अपने नाम(मों) में अंतरित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं या उस मोटर वाहन के लिए नई बीमा पॉलिसी ले सकते हैं।

जहाँ विधिक वारिस पॉलिसी को अंतरित करने या वाहन के लिए नई पॉलिसी लेने की इच्छा रखते हों, उन्हें चाहिए कि वे बतायी गयी अवधि में कंपनी के पास आवेदन भेजें।

ऐसे सभी आवेदनों में निम्न जोड़ा जाना चाहिए:

क) बीमाधारक की मृत्यु का प्रमाणपत्र

ख) वाहन के स्वामित्व का प्रमाण

ग) मूल पॉलिसी

बीमा लोकपाल का कार्यालय / Insurance Ombudsman Office

ऑफिस ऑफ दि गवर्निंग बॉडी ऑफ इश्योरेंस कौंसिल / Office of the Governing Body of Insurance Council

3 री मजिल, 'जीवन सेवा' एनेक्स, एम.टी.एन.एल. के ऊपर, एस.वी. रोड, सांताक्रुज़ (प.), मुंबई - 400 054.

3rd Floor, 'Jeevan Seva' Annexe, Above MTNL, S. V. Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 054.

दूरभाष / Tel.: (022) 26106552, 26106960 / फेक्स / Fax: (022) 26106052 / ई-मेल / E-mail: ombudsmanmumbai@gmail.com

CIN NO. U99999 MH1919 GOI 000526

specifically designed/modified for use by blind/handicapped/mentally challenged person). Where the ownership of the vehicle is transferred, the policy cannot be cancelled unless evidence that the vehicle is insured elsewhere is produced.

5. If at the time of occurrence of an event that gives rise to any claim under this policy there is in existence any other insurance covering the same liability, the Company shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of any compensation, cost or expense.

6. If any dispute or difference shall arise to the quantum to be paid under the policy (liability being otherwise admitted), such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by the parties to the dispute or if they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration, the same shall be referred to a panel of three arbitrators comprising of two arbitrators one to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators who shall act as the presiding arbitrator and arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as herein before provided, if the Company has disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this Policy that award by such arbitrator/arbitrators of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

It is also hereby further expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability to the Insured for any claim hereunder and such claim shall not, within twelve calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

7. The due observance and fulfillment of the terms, conditions and endorsement of this Policy is so far as they relate to anything to be done complied with by the insured and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be condition precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

8. In the event of the death of the sole insured this policy will not immediately lapse but will remain valid for a period of three months from the date of the death of insured or until the expiry of this policy (whichever is earlier). During the said period, legal heir(s) of the insured to whom the custody and use of the Motor Vehicle passes may apply to have this Policy transferred to the name(s) of the heir(s) or obtain a new insurance policy for the Motor Vehicle.

Where such legal heir(s) desire(s) to apply for transfer of this policy or obtain a new policy for the vehicle such heir(s) should make an application to the Company accordingly within the aforesaid period.

All such applications should be accompanied by:

a) Death Certificate in respect of the insured

b) Proof of title to the vehicle

c) Original Policy